सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
चैत्र 6, रविवार, शाके 1933–मार्च 27, 2011 *Chaitra 6, Sunday, Saka 1933–March 27, 2011*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2011

संख्या प. 2 (9) विधि/2/2011.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 8)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम**, 1989** को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अधिनियम**, 2011** है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1992 **के राजस्थान अधिनियम सं.** 19 **की धारा** 7 **का संशोधन.-**राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम**, 1989 (1992**

का अधिनियम सं. **19)** की धारा **7** की विद्यमान उप-धारा (**1**) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा**,** अर्थात्:-

"(1) किसी भी संस्था द्वारा सहायता के लिए दावा अधिकार स्वरूप नहीं किया जायेगा और इस अधिनियम के या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन अनुदानित सहायता**,** राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बंद की जा सकेगी।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अध्यादेश**, 2011 (2011** का अध्यादेश सं. **01)** इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी**,** उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2011

No. F. 2 (9) Vidhi/2/2011.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Gair-Sarkari Shaikshik Sanstha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 8) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN NON-GOVERNMENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS (AMENDMENT) ACT, 2011

(Act No. 8 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011]

An

Act

further to amend the Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act,1989.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.– (1) This Act may be called the Rajasthan Non-Government Educational Institutions (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 31st January, 2011.

2. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 19 of 1992.– For the existing sub-section (1) of section 7 of the

Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act, 1989 (Act No.19 of 1992), the following shall be substituted, namely:-

"(1) No aid shall be claimed by an institution as a matter of right and an aid granted under the provisions of this Act or the rules made thereunder may be stopped by the State Government at any time.".

3. Repeal and savings.– (1) The Rajasthan Non-Government Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2011 (Ordinance No. 01 of 2011) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

सत्य देव टाक,
Principal Secretary to the Government.

4
Government Central Press, Jaipur.